संख्या- 58 /2016 / 295 / चार-2016 -17 (ते0वि0आ0)/2012

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 मार्च , 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद फैजाबाद में गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी से सम्बन्धित सामानों व जस्टिस मुखर्जी आयोग से प्राप्त वस्तुओं को नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी,अयोध्या -फैजाबाद में प्रदर्शन एवं वीथिकाओं के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 1200/उ0प्र0सं0नि0-5(14)/2013 दिनांक 22 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फैजाबाद में गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी से सम्बन्धित सामानों व जस्टिस मुखर्जी आयोग से प्राप्त वस्तुओं को नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी,अयोध्या -फैजाबाद में प्रदर्शन एवं वीथिकाओं के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , द्वारा धनराशि रू0 150.78 लाख का आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर,2015 के निर्देशानुसार प्रायोजनाओं के मूल्यांकन एवं औचित्य के परीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4110/चार-2015-131(वि)/2015 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 95.33 लाख निर्धारित की गयी है। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद फैजाबाद में गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी से सम्बन्धित सामानों व जस्टिस मुखर्जी आयोग से प्राप्त वस्तुओं को नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी,अयोध्या -फैजाबाद में प्रदर्शन एवं वीथिकाओं के निर्माण हेतु मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 95.33 लाख की प्रशासकीय सहमति के सापेक्ष 75 प्रतिशत धनराशि रू0 71.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, फैजाबाद को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो संलग्न आगणन के अनुसार नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रश्नगत आगणन पर कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति के प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोपोराइटरी श्रेणी के कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा। अत: उक्त क्रय की धनराशि रू0 825000/- पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज अनुमन्य नहीं है। आगणन की मद संख्या-10 के अन्तर्गत सी0सी0टी0 सिस्टम आदि के कार्य सम्पादन हेतु सरकारी संस्था यू0पी0 डेस्को से ही कराया जायेगा।

6- प्रस्तावित कार्य की मद संख्या-1 एवं 2 प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा चिन्हित उच्च विशिष्ट श्रेणी के कार्य है। उक्त पर नियमानुसार सक्षम स्तर (मा0 मंत्रिपरिषद) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। आगणन की मद संख्या-4 एवं 5 के अन्तर्गत जनरेटर तथा इनर्वटर शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के बिन्दु-7 के अन्तर्गत बाट आउट एवं प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्यपर कार्यदायी संस्था को सेन्टेज अनुमन्य नहीं है।

7- प्रोपोराइटरी प्रकृति के कार्यो पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा।

8- लेबर सेस की धनराशि निर्माण कार्यो की लागत का 01 प्रतिशत देय होगा तथा सर्विस टैक्स की धनराशि नियमानुसार देय होगा।

9 - प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का पालन किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता के स्तर के अधिकारी का होगा।

10 - प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/समक्षम लोक अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

11 - यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

12- कार्यदायी संस्था द्वारा समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत करायेंगे।

13 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- के 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-12-गुमनामी बाबा की सामग्रियों को अन्तर्राट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी भवन में प्रदर्शित किया जाना-24-बृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

14 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या - 58 /2016 / 295 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 - निदेशक, ग्लोबल कान्स्ट्राक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स , इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6 - अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मिर्जापुर लखनऊ ।
7 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।